कार्यालय,निदेशक राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।

क्रमांक:एफ-11/बीमा/व्य.एंव प./94-95/ दिनांक :

परिपत्र

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 4 (99)वित्त/राजस्व/92, दिनांक 10.05.2004 द्वारा राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के नियम 5,22 (1)(i)(ii),27,28,44(3) एंव 45(2) में संशोधन कर ब्याज की दर 9.5% वार्षिक के स्थान पर 8.5% प्रतिवर्ष कर दी गई है जो कि सभी कार्यालयों को प्रेषित किया जा चुका है।

ब्याज की दरों में परिवर्तन के फलस्वरुप अब दिनांक 10.05.2004 से आवंटित ऋणों पर ब्याज की वसूली 8.5% प्रतिवर्ष की दर से की जायेगी। इससे पूर्व आहरित ऋणों पर ब्याज की दर 9.5% प्रतिवर्ष ही रहेगी। राजस्थान सरकारी बीमा नियम 1998 के नियम 44(3) के अन्तर्गत राज्य कर्मियो को दिये गये बीमा ऋण की किस्तों के चुकारे के पश्चात ब्याज की कटौती 10 किस्तो में की जानी है। अगर किसी बीमेदार की ब्याज की कटौती नही की जाती है तो उक्त ब्याज पर भी निर्धारित दर से ब्याज की वसूली की जायेगी। अत: भविष्य में ब्याज एवं स्वत्व निर्धारण के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये तथा बकाया ब्याज पर भी ब्याज की राशी आवश्यक रुप से काटी जाये।

बीमा नियम 1998 के नियम 22(1)(i)(ii) में अधिक प्राप्त प्रीमियम एवं परिपक्वता,मृत्यु एवं अध्यर्पण के विलम्बित भुगतान पर भी ब्याज दिये जाने का प्रावधान है। इन सभी मामलों में 31.03.2002 तक 12% की दर से, 01.04.2002 से 9.5% की दर से एवं 10.05.2004 से 8.5% की दर से ब्याज की गणना कर भुगतान किया जाये।

नियम 27 एवं 28 के अन्तर्गत प्रीमियम विलम्ब से प्राप्त हाने पर जो प्रीमियम फरवरी 2002 के वेतन से संबंधित है उन पर 12% की दर से तथा मार्च 2002 के वेतन एवं इसके पश्चात के वेतन के बकाया प्रीमियम पर 9.5% की दर तथा मई 2004 एवं इसके पश्चात के वेतन के बकाया प्रीमियम पर 8.5% की दर से ब्याज की राशि वसूल की जावे।

-ह०-

(बी.के. मीणा)
निदेशक

क्रमांक:एफ19/बीमा/व्य.एवं प./94-95/10664-1166 दिनांक: 19.5.04

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग संभाग.............
2. अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग सतर्कता/बीमा/प्रा.नि.सा. बीमा/प्रशासन राज. जयपुर।
3. समस्त उप/सहायक निदेशाक राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग जयपुर
4. समस्त उप/सहायक निदेशाक राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग जयपुर................
5. निजी सहायक, निदेशक महोदय ।

अति.निदेशक(बीमा)

\COMPAQ12 msword\addl_insurance\intrestrate.doc